फर्द आहकाम

लक्ष्मण व अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य

न्यायालय SDO II सांगानेर

संख्या 420/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की प्रा० पत्र 151 CPC पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा०पत्र 151 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रा०पत्र 151 CPC स्वीकार किया जाकर वाद के वाद को पुनः नम्बर पर लिए जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली, व मूल दावा पत्रावली, प्रा०पत्र 151 CPC का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मूल दावा पत्रावली में आदेशिका दिनांक 24/6/24 में नो इन्स्ट्रक्शन वादी अधिवक्ता ने की थी। इसके पश्चात वादी को न्यायालय द्वारा कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया गया। वादी ~~[illegible]~~ को उनके वकील ने भी कोई सूचना नहीं दी गई। वादी स्वयं न्यायालय में दिनांक 3/7/24 को वाद की जानकारी चाही। पत्रावली का अवलोकन करने पर जानकारी में आया की वाद पत्रावली दि० 24/06/24 को ही वादीगण का वाद नो-इन्स्ट्रक्शन के आधार पर खारिज किया गया। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो। सुनाया।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)